रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2009/ज्येष्ठ 15, 1931
No. 332] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2009/JYAISTHA 15, 1931

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2009

सा.का.नि. 390(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 तथा धारा (ग) उप-धारा (2), धारा 4, धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियमावली, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2009 कहा जाए ।
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980, जिसे इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा जाएगा, की अनुसूची II के भाग II में क्रम सं. 2 के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाएगा । अर्थात्:-

"3.	हज यात्रियों के लिए पासपोर्ट	(i) हज समिति की ओर से संबद्ध वर्ष के लिए हज आवंटन संख्या धारक व्यक्ति बशर्ते कि नाम तथा आवंटन संख्या हज समिति द्वारा पासपोर्ट कार्यालय को दी गई सूची से मेल खाते हों",

3. उक्त नियमावली 1980 के नियम 7 में धारा 2 के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात्

"(iii) सऊदी अरब"।

4. उक्त नियमावली की अनुसूची IV में क्रम सं. 6 के बाद उपशीर्ष "विशेष यात्रा दस्तावेज" के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात्

"6क.	हज यात्रियों के लिए पासपोर्ट	500	— —

5. उक्त नियमावली, के नियम 12, में उपनियम (6) के प्रावधानों के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात्

"7. हज यात्रियों के पासपोर्ट, जारी करने की तारीख से 8 महीने की अवधि के लिए वैध होंगे।"

[फा. सं. VI/401/1/6/2009]

ए. माणिक्कम, संयुक्त सचिव

(i) सा.का.नि. 50 (ई), दिनांक 7.2.1981
(ii) सा.का.नि. 494 (ई), दिनांक 10.6.1981
(iii) सा.का.नि. 469 (ई), दिनांक 24.6.1982
(iv) सा.का.नि. 325 (ई), दिनांक 12.4.1983
(v) सा.का.नि. 482 (ई), दिनांक 13.6.1983
(vi) सा.का.नि. 494 (ई), दिनांक 16.6.1983
(vii) सा.का.नि. 345 (ई), दिनांक 29.3.1985
(viii) सा.का.नि. 860 (ई), दिनांक 8.11.1985
(ix) सा.का.नि. 857 (ई), दिनांक 13.10.1987
(x) सा.का.नि. 84 (ई), दिनांक 11.2.1988
(xi) सा.का.नि.1155 (ई), दिनांक 21.11.1988
(xii) सा.का.नि. 622 (ई), दिनांक 27.6.1990
(xiii) सा.का.नि. 653 (ई), दिनांक 20.7.1990
(xiv) सा.का.नि. 100 (ई), दिनांक 4.3.1991
(xv) सा.का.नि. 275 (ई), दिनांक 20.3.1991
(xvi) सा.का.नि. 586 (ई), दिनांक 21.6.1991
(xvii) सा.का.नि. 111 (ई), दिनांक 22.1.1992
(xviii) सा.का.नि. 684 (ई), दिनांक 15.6.1992
(xix) सा.का.नि. 721 (ई), दिनांक 7.8.1992
(xx) सा.का.नि. 477 (ई), दिनांक 16.6.1993
(xxi) सा.का.नि. 485 (ई), दिनांक 1.7.1993
(xxii) सा.का.नि. 503 (ई), दिनांक 10.7.1993
(xxiii) सा.का.नि. 833 (ई), दिनांक 2.12.1994
(xxiv) सा.का.नि. 592 (ई), दिनांक 7.8.1995
(xxv) सा.का.नि. 491 (ई), दिनांक 28.8.1997
(xxvi) सा.का.नि. 605 (ई), दिनांक 5.10.1998
(xxvii) सा.का.नि. 516 (ई), दिनांक 8.7.1999
(xxviii) सा.का.नि. 827 (ई), दिनांक 29.12.1999
(xxix) सा.का.नि. 34 (ई), दिनांक 12.1.2000
(xxx) सा.का.नि. 472 (ई), दिनांक 22.5.2000
(xxxi) सा.का.नि. 473 (ई), दिनांक 22.5.2000
(xxxii) सा.का.नि. 485 (ई), दिनांक 23.5.2000
(xxxiii) सा.का.नि. 529 (ई), दिनांक 8.6.2000
(xxxiv) सा.का.नि. 584 (ई), दिनांक 4.7.2000
(xxxv) सा.का.नि. 632 (ई), दिनांक 25.7.2000
(xxxvi) सा.का.नि. 482 (ई), दिनांक 28.6.2001
(xxxvii) सा.का.नि. 527 (ई), दिनांक 13.7.2001
(xxxviii) सा.का.नि. 576 (ई), दिनांक 2.8.2001
(xxxix) सा.का.नि. 817 (ई), दिनांक 2.11.2001
(xl) सा.का.नि. 879 (ई), दिनांक 5.12. 2001
(xli) सा.का.नि. 235 (ई), दिनांक 28.3.2002
(xlii) सा.का.नि. 417 (ई), दिनांक 29.5.2002
(xliii) सा.का.नि. 429 (ई), दिनांक 23.5.2003
(xliv) सा.का.नि. 399 (ई), दिनांक 5.5.2005
(xlv) सा.का.नि. 674 (ई), दिनांक 27.10.2006
(xlvi) सा.का.नि. 603 (ई), दिनांक 23.12.2006
(xlvii) सा.का.नि. 242 (ई), दिनांक 29.5.2007
(xlviii) सा.का.नि. 526 (ई), दिनांक 2.8.2007
(xlix) सा.का.नि. 43 (ई), दिनांक 22.1.2008
(l) सा.का.नि. 103 (ई), दिनांक 22.2.2008
(li) सा.का.नि. 850 (ई), दिनांक 11.12.2008

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2009

G.S.R. 390(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 and clause (c) sub-section (2) Section 4, Sections 5 and 7, of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2009.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980 hereinafter referred to as the said rules, in part II of Schedule II, after serial number 2, following shall be inserted, namely :-

"3. Passport for Haj pilgrims	(i)	Persons holding Haj allotment number for the relevant year from the Haj Committee: Provided that name and allotment number match with the list given by the Haj Committee to the Passport Office",

3. In the said Rules, 1980, in rule 7, after clause (ii), the following shall be inserted, namely:-

"(iii)Saudi Arabia".

4. In the said Rules, in Schedule IV, after serial No.6, under sub-heading "Special Travel Document", the following shall be inserted, namely:-

"6A.	Passport for Haj pilgrims	500	-	-

5. In the said Rules, in rule 12, after proviso to sub-rule (6), the following shall be inserted, namely:-

"7. The passport for Haj pilgrims shall be valid for a period of eight months from the date of issue".

[F. No. VI/401/1/6/2009]

A. MANICKAM, Jt. Secy.

(i) GSR50(E), dated 7.2.1981;
(ii) GSR 494(E), dated 10.6.1981;
(iii) GSR 469(E), dated 24.6.1982;
(iv) GSR 325(E), dated 12.4.1983;
(v) GSR 482(E), dated 13.6.1983;
(vi) GSR 494(E), dated 16.6.1983;
(vii) GSR 345(E), dated 29.3.1985;
(viii) GSR 860(E), dated 8.11.1995;
(ix) GSR 857(E), dated 13.10.1987;
(x) GSR 84(E), dated 11.2.1988;
(xi) GSR 1155(E), dated 2.11.1988;
(xii) GSR 622(E), dated 27.6.1990;
(xiii) GSR 653(E), dated 20.7.1990;
(xiv) GSR 100(E), dated 4.3.1991;
(xv) GSR 275(E), dated 20.3.1991;
(xvi) GSR 586(E), dated 21.6.1991;
(xvii) GSR 111(E), dated 22.1.1992;
(xviii) GSR 684(E), dated 15.6.1992;
(xix) GSR 721(E), dated 7.8.1992;
(xx) GSR 477(E), dated 16.6.1993;
(xxi) GSR 485(E), dated 1.7.1993;
(xxii) GSR 503(E), dated 10.7.1993;
(xxiii) GSR 833(E), dated 2.12.1994;
(xxiv) GSR 592(E), dated 7.8.1995;
(xxv) GSR 491(E), dated 28.8.1997;
(xxvi) GSR 605(E), dated 5.10.1998;
(xxvii) GSR 516(E), dated 8.7.1999;
(xxviii)GSR 827(E), dated 29.12.1999;
(xxix) GSR 34(E), dated 12.01.2000;
(xxx) GSR 472(E), dated 22.5.2000;
(xxxi) GSR 473(E), dated 22.5.2000;
(xxxii) GSR 485(E), dated 23.5.2000;
(xxxiii)GSR 529(E), dated 8.6.2000;
(xxxiv)GSR 584(E), dated 04.07.2000;
(xxxv) GSR 632(E), dated 25.7.2000;
(xxxvi) GSR 482(E), dated 28.6.2001;
(xxxvii)GSR 527(E), dated 13.7.2001;
(xxxviii)GSR 576(E), dated 2.8.2001;
(xxxix)GSR 817(E), dated 2.11.2001;
(xl) GSR 879(E), dated 5.12.2001;
(xli) GSR 235(E), dated 28.3.2002;
(xlii) GSR 417(E), dated 29.5.2002;
(xliii) GSR 429(E), dated 23.5.2003;
(xliv) GSR 399(E), dated 5.5.2005;
(xlv) GSR 674(E), dated 27.10.2006;
(xlvi) GSR 603(E), dated 23.12.2006;
(xlvii)GSR 242(E), dated 29.05.2007;
(xlviii)GSR 526(E), dated 2.8.2007;
(xlix)GSR 43(E), dated 22.1.2008;
(L) GSR 103(E), dated 22.2.2008;
(Li) GSR 850(E) dated 11.12.2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.